

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, <sup>11102प्र0से0</sup>  
अपर सचिव।

सेवा में

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।

पटना-15, दि०

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, विपत्र कोड-39- 2245808000102, विस्तृत शीर्ष- 28-व्यावसायिक सेवाएँ, विषय शीर्ष - 04- व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ के अन्तर्गत ₹3.65 लाख (तीन लाख पैसठ हजार रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश --स्वीकृत।

2. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-116/आ0प्र0 दिनांक -25.05.17 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष -2017-18 में राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष -2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष -80-सामान्य, लघुशीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष -0102-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड -39-2245808000102, मांग सं०-39, विस्तृत शीर्ष-28-व्यावसायिक सेवाएँ, विषय शीर्ष - 04- व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी उपमुख्य शीर्ष /लघु शीर्ष/उपशीर्षवार निम्नप्रकार है--  
उप मुख्य शीर्ष --80--सामान्य  
लघु शीर्ष --800--अन्य व्यय  
उपशीर्ष -0102  
मांग सं०-39,  
विस्तृत शीर्ष-28-व्यावसायिक सेवाएँ, विषय शीर्ष -04- व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ  
(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	योग
1	वैशाली	0.00 (शून्य)	3.65 (तीन लाख पैसठ हजार)	3.65 (तीन लाख पैसठ हजार)

5. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 447 दिनांक 30.05.2017 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि से वैशाली महोत्सव-2017 के अवसर पर विभिन्न आपदाओं की स्थिति में बचाव के उपाय से संबंधित जानकारी आम लोगों को देने के उद्देश्य से मेला स्थल पर लगाये गए स्टॉल एवं लाईव प्रदर्शनी में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अधूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उपशीर्ष का मुद्रा लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगी।

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक -2561वि0(2) दिनांक -17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक -15.03.2018 तक निश्चित रूप से की दें, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पूर्ण उल्लिखित करते हुए तुरंत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।

12 इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव। योजना एवं विकास विभाग पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - /आ0प्र0, पटना-15, दि0-


प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, आ0प्र0 विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

आपांक 60 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 4/8/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रधान पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव